रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-72 6

REGISTERED No. D. (D N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

17.7.87

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 1987/वैशाख 4, 1909
No. 195] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 1987/VAISAKHA 4, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

विकास आयुक्त का कार्यालय (औषधि)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1987

आदेश

का. आ. 418(अ) :—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 2, 3, 4 और 5 के साथ पठित, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषध एवं भेषज उद्योग के लिए एक विकास परिषद् की स्थापना करती है। उक्त विकास परिषद् राष्ट्रीय औषध एवं भेषज विकास परिषद् के नाम से ज्ञात होगी और इस आदेश के उपाबंध I में विनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनकी नियुक्ति का अवधि इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगी।

2. उक्त विकास परिषद इस आदेश के उपाबंध II में यथा विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करेगी।

3. श्री आर. एस. माथुर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (भेषज उद्योग) रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग, नई दिल्ली को उक्त विकास परिषद् के सदस्य सचिव के कृत्यों के लिए नियुक्त किया जाता है।

[सं. 7(22)/86-डी. II]

आर. एस. माथुर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (भेषज उद्योग)

उपाबंध—I

1.	सचिव, रसायन और पैट्रोरसायन	अध्यक्ष
2.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
3.	भारत के औषध नियंत्रक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
4	अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्	सदस्य

5. निदेशक, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	सदस्य
6. अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान संगम	सदस्य
7. अध्यक्ष, भारतीय भेषजी निर्माता संगठन	सदस्य
8. अध्यक्ष, भारतीय औषधि विनिर्माता संगम	सदस्य
9. अध्यक्ष, लघु उद्योग सेक्टर संगम	सदस्य
10. अध्यक्ष, भेषजी सहबद्ध विनिर्माण, वितरण संगम	सदस्य
11. अध्यक्ष, रासायनिक भेषजी और प्रसाधन विशेषज्ञ समिति परिषद्	सदस्य
12. सचिव, तकनीकी विकास महानिदेशालय या उसके नामनिर्देशिती	सदस्य
13. अखिल भारतीय उपभोक्ता परिषद् या उसके नामनिर्देशिती	सदस्य
14. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	सदस्य
15. प्रमुख श्रमिक नेता या उसके नाम निर्देशिती	सदस्य
16. सचिव (वाणिज्य) या उसके नामनिर्देशिती	सदस्य
17. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या उसके नामनिर्देशिती	सदस्य
18. अध्यक्ष, औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो	सदस्य
19. संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)	सदस्य-सचिव

उपाबंध II

औषधि और भैषजिक उद्योग के लिए विकास परिषद् के कृत्य

(1) उत्पादन के लक्ष्यों की सिफारिश करना, उत्पादन कार्यक्रमों का समन्वय करना और प्रगति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना;

(2) अपशिष्ट का उन्मूलन करने, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने, क्वालिटी में सुधार करने और लागत में कमी करने की दृष्टि से दक्षता प्रमायों का सुझाव देना;

(3) संस्थापन क्षमता का पूर्णतया उपयोग करने और उद्योग के विशेषतया कम दक्षता वाले एककों के कार्यकरण में सुधार सुनिश्चित करने के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(4) उद्योग के उत्पाद के बेहतर विपणन के लिए इंतजाम का संप्रवर्तन करना और उसके वितरण तथा विक्रय की ऐसी प्रणाली की स्थापना करने में सहायता देना जो उपभोक्ता के समाधानप्रद रूप में हो;

(5) उत्पादों के मानकीकरण का संप्रवर्तन करना;

(6) नियंत्रित सामग्री के वितरण में सहायता करना और उद्योग के लिए सामग्री प्राप्त करने के इंतजाम के संप्रवर्तन में सहायता करना;

(7) सामग्री और उपस्कर तथा उत्पादन प्रबंध और श्रम उपयोग, जिसके अंतर्गत नई सामग्री, उपस्कर और उनके सुधार की पद्धतियां जो पहले से ही प्रयोग में हैं, का पता चलाने और विकास, भिन्न-भिन्न अनुकल्पी लाभों का निर्धारण और वाणिज्यिक आधार पर स्थापन प्रयोग तथा परीक्षणों के संचालन का सप्रवर्तन करना या जांच करना;

(8) उद्योग में लगे हुए या लगने के लिए प्रस्थापित व्यक्तियों के प्रशिक्षण और उससे सुसंगत तकनीकी या कलात्मक विषयों में उनकी शिक्षा का संप्रवर्तन करना;

(9) उद्योग में लगे हुए या उससे छटनी किए हुए कर्मचारिवृन्द के अनुकल्पी उपजीविकाओं में पुनःप्रशिक्षण का सप्रवर्तन करना;

(10) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का औद्योगिक मनोविज्ञान पर प्रभाव डालने वाले विषयों में अनुसंधान का और उत्पादन से संबंधित विषयों में अनुसंधान का तथा उद्योग द्वारा प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के उपभोग या उपयोग का संप्रवर्तन करना या उनमें अनुसंधान करना;

(11) लेखा और लागत तरीकों तथा पद्धति के सुधार और मानकीकरण का संप्रवर्तन करना;

(12) आंकड़ों के संग्रहण और सूत्रण का संप्रवर्तन करना या उन्हें उपक्रम करना;

(13) सहबद्ध लघु और कुटीर उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विकेन्द्रीकरण उपक्रमों और उत्पादन की प्रक्रिया की संभावनाओं की जांच करना;

(14) श्रम की उत्पादकता में जिसके अंतर्गत कर्मकारों के लिए सुरक्षात्मक और बेहतर दशाएं सुनिश्चित करने के उपाय तथा उनके लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था और उनमें सुधार और प्रोत्साहन भी है, वृद्धि करने के उपायों को अंगीकार करने का संप्रवर्तन करना है;

(15) उद्योग से संबंधित किन्हीं विषयों के बारे में सलाह देना (पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तों से भिन्न) जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार विकास परिषद् से सलाह देने के लिए अनुरोध करें और सलाह देने के लिए विकास परिषद् को समर्थ बनाने के प्रयोजन से जांच करना, और

(16) अभिप्राप्त जानकारी उद्योग को उपलब्ध कराने के लिए और उन विषयों के बारे में जिनसे विकास परिषद् अपने कृत्यों का प्रयोग करते हुए संबंधित है, सलाह देने के लिए प्रबंध करना।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, 24th April, 1987

ORDER

S.O. 418 (E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2,3, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby establishes a Development Council for the Drugs and Pharmaceuticals Industry. The said Development Council shall be

known as the National Development Council for Drugs ad Pharmaceuticals and shall consist of the members specified in Annexure I to this Order, whose tenure of appointment shall be for a period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

2. The said Development Council shall perform functions as are specified in Annexure II to this Order.

3. Shri R.S. Mathur, Joint Secretary and Development Commissioner (Pharmaceuticals Industry), Department of Chemicals and Petro-Chemicals, New Delhi is hereby appointed to carry on the functions of the Members-Secretary to the said Development Council.

[No. 7(22)/86-D.II]

R.S. MATHUR, Jt. Secy.
and Development Commissioner
(Pharmaceuticals Industry)

ANNEXURE I

LIST OF THE MEMBERS OF THE DEVELOPMENT COUNCIL FOR DRUGS AND PHARMACEUTICALS INDUSTRY

1.	Secretary, Chemicals and Petro-Chemicals	Chairman
2.	Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare	Member
3.	Drug Controller of India, Ministry of Health and Family Welfare	Member
4.	Chairman, Indian Council of Medical Research	Member
5.	Director, Central Drugs Research Institute, Lucknow	Member
6.	President, Indian Medical Association	Member
7.	President, Organisation of Pharmaceutical Producers of India	Member
8.	President, Indian Drug Manufacturers Association	Member
9.	President, Small Scale Sector Industries Association	Member
10.	President, Pharmaceuticals Allied Manufacturers, Distributors Association	Member
11.	President, Chemicals, Pharmaceuticals and Cosmetics Expert Committee Council	Member
12.	Secretary, Directorate General of Technicial Development or his nominee	Member
13.	All India Consumers Council or his nominee	Member
14.	Director, All Idia Institute of Medical Science	Member
15.	Prominent Labour Leader or his nominee	Member
16.	Secretary (Commerce) or his nominee	Member
17.	Secretary, Health and Family Welfare or his nominee	Member
18.	Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices	Member
19.	Joint Secretary and Development Commissioner (Pharmaceuticals Industry)	Member-Secretary.

ANNEXURE – II

FUNCTIONS OF THE DEVELOPMENT COUNCIL FOR DRUGS AND PHARMACEUTICALS INDUSTRY

(1) Recommending targets for production, co-ordinating production programmes and reviewing progress from time to time.

(2) Suggesting norms of efficiency with a view to eliminating waste, obtaining maximum production, improving quality and reducing cost.

(3) Recommending measures for securing the fuller utilisation of the installed capacity and for improving the working of the industry, particularly of less efficient units.

(4) Promoting arrangements for better marketing and helping in the devising of a system of distribution and sale of the pro-

duce of the industry which would be satisfactory to the consumer.

(5) Promoting standardisation of products.

(6) Assisting in the distribution of controlled materials and promoting arrangements. for obtaining materials for the industry

(7) Promoting or undertaking, inquiry as to materials and equipment and as to methods of production, management and labour utilisation, including the discovery and development of new materials, equip ment and methods and of improvements in those already in use, the assessment of the advantages of different alternatives and the conduct of experimental establishments and of tests on a commrcial scale.

(8) Promoting the training of persons engaged or proposing enegagement in the industry and their education in technical or artistic subjects relevant thereto.

(9) Promoting the retraining in alternative occupations of personnel engaged in or retrenched from the industry.

(10) Promoting or undertaking scientific and industrial research, research into matters affecting Industrial Psychology and research into matters relating to production and to the consumption or use of goods and services supplied by the industry.

(11) Promoting improvements and standardisation of accouting and costing methods and practice.

(12) Promoting or undertaking the collection and formulation of statistics.

(13) Investigating possibilities of decentralising stages and process of production with a view to encouraging the growth of allied small scale and cottage industries.

(14) Promoting the adoption of measures for increasing the productivity of labour, including measures for securing safer and better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers.

(15) Advising on any matters relating to the industry (other than remuneration and conditions of employment) as to which the Central Government may request the Development Council to advise and undertaking inquiries for the purpose of enabling the Development Council so to advise, and

(16) Undertaking arrangements for making available to the industry information obtained and for advising on matters with which the Development Council are concerned in the exercise of any of their functions.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987